उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा

(उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000}

THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRAD-ABLE GARABGE (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) ACT, 2000

[U.P. ACT NO. 29 OF 2000]

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा के उपयोग और निस्तारण का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 11 जुलाई, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2–– इस अधिनियम में, – परिभाषाएं

(क) ''जीव नाशित कूड़ा–कचरा'' का तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है;

(ख) ''खाद्य'' का तात्पर्य ऐसे किसी पदार्थ से है जो खाद्य या पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता हो, और इसके अन्तर्गत औषधि, जल, दुग्ध, दुग्ध–उत्पाद, मांस, मछली, फल, सब्जी, कोई पदार्थ जो सामान्यतया मानव खाद्य की रचना या निर्माण में मिश्रित होता हो, या उपयोग में लाया जाता हो, और कोई वासक या स्वादबर्द्धक पदार्थ भी है;

(ग) ''गृह–पथ'' से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी जो नालों के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचाने के लिये उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहां से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गयी हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है;

(ङ) ''बाजार'' के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान भी है जहां लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई खाद्य या अखाद्य सामग्री या माल का विक्रय या क्रय करने के लिए एकत्र होते हैं;

(च) ''जीव अनाशित कूड़ा–कचरा'' का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;

(छ) ''अधिभोगी'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) कोई व्यक्ति जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किराये के किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है, जिसके समबन्ध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;

(दो) कोई स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार;

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अधिभोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो; या

(पांच) कोई लाइसेन्सधारी, जिसके अधिभोग में कोई भूमि या भवन हो;

(ज) ''स्वामी'' का तात्पर्य–

(एक) जब किसी परिसर के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाये, तो उस व्यक्ति से है जो उक्त परिसर का किराया प्राप्त करता हो या जो परिसर के किराये पर दिये जाने पर उसका किराया प्राप्त करने का हकदार हो और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(क) कोई अभिकर्त्ता या न्यासी जो स्वामी की ओर से ऐसा किराया प्राप्त करता हो;

(ख) कोई अभिकर्त्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए समर्पित किसी परिसर का किराया प्राप्त करता हो, या उस परिसर से न्यस्त या सम्बन्धित हो;

(ग) उक्त परिसर का प्रभार लेने के लिए या स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर, परिवद्धकर्ता या प्रबन्धक; और

(घ) कब्जा रखने वाला कोई बन्धकदार।

(दो) जब किसी जानवर, वाहन या नौका के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाय तो जानवर, वाहन या नौका के स्वामी से है और उसके अन्तर्गत जानवर, वाहन या नौका का तत्समय प्रभारी व्यक्ति भी है;

(झ) ''स्थान'' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन के भाग से है और इसके अन्तर्गत भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन या वहिर्गृह, यदि कोई हो, भी है;

(ञ) ''लोक पर्यवलोकन के लिये खुला स्थान'' के अन्तर्गत कोई निजी स्थान, भवन या स्मारक, बाड़ या छज्जा भी है जो किसी सार्वजनिक स्थान में से या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, दिखाई देता हो;

(ट) ''प्लास्टिक'' का तात्पर्य संस्लिष्ट पालीमेरिक पदार्थ से है और इसके अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई सामग्री भी है;

(ठ) ''लोक विश्लेषक'' का तात्पर्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति से है ;

(ड) ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य जनता के उपयोग और उपभोग के लिए खुले किसी स्थान से है चाहे जनता द्वारा उसका वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, मण्डल, गृह–पथ, या रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, और कोई अन्य स्थान जहां जनता का प्रवेश अनुमति हो या आने–जाने का अधिकार हो या जिस पर उन्हें जाने का अधिकारी हो, भी है।

सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध

3–– (1) कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी भी साधन से जानबूझ कर या अन्य या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, संवातन शाफ्ट, पाइप और फिटिंगों में कोई जीव अनाशित कूड़ा–कचरा या जीव नाशित कूड़ा–कचरा, जीव अनाशित थैला या पात्र में नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा, जिसे निम्नलिखित की सम्भावना हो :–

(एक) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुंचने की;

(दो) नाली और मल पदार्थ के निर्वाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की; और

(तीन) खतरनाक होने या उपताप कारित करने या जन–स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

(2) कोई व्यक्ति जानबूझकर अन्यथा सिवाय ऐसे प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपाय के पालन करने के पश्चात् जैसे विहित किये जाये, कोई जीव नाशित या जीन अनाशित कूड़ा–कचरा किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर जो जनता के पर्यवलोकन के लिए खुला हो, नहीं रखेगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा –

(क) कूड़ा–कचरा को किसी ऐसे कूड़ा–कचरा पात्र में जो उसके लिए मुहैया कराया गया हो, नहीं डाला जाता हो; या

(ख) किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कूड़े–कचरे के व्ययन के लिए पूर्वनिर्दिष्ट किये गये स्थान में कूड़ा–कचरा जमा न किया गया हो।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना

4–– स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह, –

(क) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को स्थाई तौर पर जमा या संप्रहण करने के लिए उचित और सुविधाजनक स्थिति में सार्वजनिक कूड़ेदान रखे या संग्रह स्थानों या जगह की व्यवस्था करें ;

(ख) जीव नाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखे गये और अनुरक्षित से भिन्न जीव अनाशित कूड़ा–कचरा को अस्थाई रूप से जमा करने के लिए अलग से कचरा पेटियों की व्यवस्था करें;

(ग) इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये या नियत किये गये सभी स्थानों पर कूड़ेदानों और ढेर संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करना; और

(घ) संग्रहित जीव अनाशित कूड़े–कचरे को पुनः चक्रण का प्रबन्ध करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य

5–– सभी भूमि भवनों के स्वामियों और अधिभूमियों का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :–

(क) अपनी–अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों या स्थानों में जमा करना या करवाना;

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़–कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग–अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों और कचरा पेटियों को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति

6–– स्थानीय प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े–कचरे का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी न्यूसेन्स का कारण बनने की सम्भावना हो, स्वामी या अधिभोगी या अंशतः स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाये गये या संग्रहीत कूड़े–कचरे को हटाये या हटवाने की अपेक्षा कर सकता है और यदि उसकी राय में जीव अनाशित कूड़े–कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास या मल वहन प्रणाली के अवरूद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो तो वह तत्काल ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा जैसा वह आवश्यक समझे।

प्लास्टिक के उपयोग का निषेध

7––(1) कोई भी व्यक्ति पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रूप में किसी खाद्य का भण्डारण करने, उसे ले जाने या उसकी पैकिंग करने के लिए और यदि प्लास्टिक की मोटाई बीस माइक्रान से कम हो तो किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति पुनः चक्रित प्लास्टिक से भिन्न किसी प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रूप में किसी सामग्री का भण्डारण करने, उसे ले जाने या उसकी पैकिंग करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, यदि ऐसे प्लास्टिक की मोटाई बीस माइक्रान से कम हो।

शास्तियां

8–– (1) जो कोई धारा 7 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि, एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

9–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है या अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार उसे दण्ड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदारी से है।

अपराधों का संज्ञान

10–– कोई न्यायालय स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

प्रक्रिया

11–– (1) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

अपराधों का शमन

12–– इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के, जैसा वह उचित समझे, जो अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न हो, वसूल किये जाने पर प्रशमित किया जा सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन, ––

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति

13–– राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकती है, जो इस अधिनियम से असंगत न हो और जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति

14–– राज्य सरकार, लोक विश्लेषक से परामर्श करने के पश्चात् अनुसूची को, अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

15–– राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोगतव्य किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, किया जा सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

16–– इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अन्य विधि प्रभावित न होगी

17––इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त है और उसके अल्पीकरण में नहीं है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18–– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

19–– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

20–– (1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

{धारा 2(ट) देखिए}

प्लास्टिक

1– पालीथीन

2– नायलान

3– पी0वी0सी0

4– पाली–प्रापिलीन

5– पाली–स्टाइरीन

THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE GARABGE (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) ACT, 2000

[U.P. ACT NO. 29 OF 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for regulation of use and disposal of plastic and other non-biodegradable garbage and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 11, 2000.

Definitions

2- In this Act, -

(a) "bio-degradable garbage" means the garbage or waste material capable of being decomposed or destroyed by bacteria or other living beings;

(b) "food" means any article used as food or drink for human consumption and includes drug, water, milk, milk product, meat, fish, fruit, vegetable, any article which ordinarily enters into, or is used in the composition, or preparation of, human food and any flavoring matter or condiments;

(c) "house gully" means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as a drain or of affording access, to a latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter, to persons employed in the cleansing thereof or in the removal of such matter there from;

(d) "local authority" means a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat, a Zila Panchayat, a Kshettra Panchayat or a Gram Panchayat constituted, under any law for the time being in force;

(e) "market" includes any place where persons assemble for sale or purchase of meat, fish, fruits, vegetable, food or any other edible or non-edible articles or goods for human use or consumption;

(f) "non-bio-degradable garbage" means the garbage or waste material which is not bio-degradable garbage and includes plastic;

(g) "occupier" includes –

(i) any person who, for the time being, is paying, or is liable to pay, to the owner, the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;

(iii) a rent free tenant of any land or building;

(iv) any person who is liable to pay to the owner damages for the use or occupation of any land or building; or

(v) a licensee in occupation of any land or building;

(h) "owner" means –

(i) when used with reference to any premises, the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let and includes, -

(a) an agent or trustee who receive such rent on account of the owner;

(b) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with or is concerned with any premises devoted to religious or charitable purpose;

(c) a receiver, sequestrate or manager appointed by any court of competent jurisdiction to have the charge of, or to exercise the rights of an owner of the said premises; and

(d) a mortgagee in possession.

(ii) when used with reference to any animal, vehicle or boat, includes the person for the time being in charge of the animal, vehicle or boat;

(i) "place" means any land or building or part of a building and includes the gardens, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of building;

(j) "place open to public view" includes any private place or building monument, fence or balcony visible to a person being in, or passing along any public place;

(k) "plastic" means a synthetic polymeric substance and includes any material specified in the Schedule;

(l) "Public Analyst" means the person appointed or recognized to be the Government Analyst in relation to any environmental laboratory established or recognized in the State, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

(m) "public place" means any place which is open to use and enjoyment of the public whether it is actually used or enjoyed by the public or not and includes a road, street, market, house gully or way, whether a thoroughfare or not, and any other place to which public are granted access or have a right to resort or ever which they have a right to pass.

Prohibition throw non-biodegradable garbage in public drains and sewage system

3- (1) No person, himself or through another person or by any means, shall knowingly or otherwise throw or cause to be thrown in any public place, drain, gully, pit, ventilation shaft, pipe and fittings connected with the private or public drainage works, any non-biodegradable garbage or any biodegradable garbage in a non-biodegradable bag or container likely to, --

(i) injure the drainage and sewage system;

(ii) interfere with the free flow or affect the treatment and disposal of drain and sewage contents; and

(iii) be dangerous or cause a nuisance or be prejudicial to public health.

(2) No person shall, knowingly or otherwise, place or permit to be placed, except in accordance with such procedure and after complying with such safe guards as may be prescribed, any biodegradable or non-biodegradable garbage in any public place or in a place open to public view, unless –

(a) the garbage's is placed in a garbage receptacle, provided for the same; or

(b) the garbage is deposited in a location designated by a local authority having jurisdiction or an area for the disposal of the garbage.

Provision for placement of receptacles and places for deposit of non-biodegradable garbage

4- It shall be the duty of the local authority or any officer authorized by it, in this behalf to, -

(a) place or provide at proper and convenient situation public receptacles, depots or places for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage;

(b) provide separate dustbins for temporary deposit of non-biodegradable garbage other than those kept and maintained for deposit of biodegradable garbage;

(c) provide for the removal of contents of receptacles, depots and of the accumulation at all places provided or appointed by it under clause (a) of this section; and

(d) arrange for recycling of the non-biodegradable garbage collected.

Duty of owners and occupiers to collect and deposit non biodegradable garbage etc.

5- It shall be the duty of the owners and occupiers of all lands and buildings,-

(a) to collect or cause to be collected from their respective land and building the non-biodegradable garbage and to deposit, or cause to be deposited, in public receptacles, depots or places provided for temporary deposit or collection of the non-biodegradable garbage by the local authority in the area;

(b) to provide separate receptacles or dustbins, other than those kept and maintained for deposit of biodegradable garbage, of the type and in the manner prescribed by the local authority or for collection therein of all the non-biodegradable waste from such land and building and to keep such receptacles and dustbins in good condition and repair.

Power of local authorities for removal at non-biodegradable garbage

6- The local authority may, by notice in writing, require the owner or occupier or part-owner, or person claiming to be the owner or part-owner of any land or building, which has become a place of unauthorized stacking or deposit of non-biodegradable garbage and is likely to occasion a nuisance, remove or cause to be removed they said garbage so stacked or collected, and if, in its opinion, such stacking or collection of non-biodegradable waste is likely to obstruct the drainage and sewage system or is likely to be dangerous to life and health, it shall forthwith take such steps at the cost of such persons as it may think necessary.

Prohibition of use of plastic

7- (1) No person shall use recycled plastic, in any form for storing, carrying or packing any food, and if thickness of such plastic is less than twenty microns, for any other purpose.

(2) No person shall use plastic, other than recycled plastic, in any form for storing, carrying or packing any material or for any other purpose if the thickness of the plastic is less than twenty microns.

Penalties

8- (1) Whoever contravenes, or abets the contravention of, the provisions of section 7 shall be punished, in the event of first conviction, with imprisonment for a term which may extend to one month or with a fine which may extend to five thousand rupees or with both, and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever contravenes, or abets the contravention of the provisions of section 3 shall be punished, in the event of first conviction, with fine which may extend to five hundred rupees, and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees.

Offences by companies

9- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person, in charge of, or responsible to the company for the conduct of its, business at the time of the commission on the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation :- For the purposes of this section –

(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individual; and

(b) “Director” in relation to a firm means a partner in the firm.

Cognizance of offences

10- No court shall take cognizance of an offence under this Act except on complaint in writing made by such officer of the local authority as may be specified by the State Government by notification.

Procedure

11- (1) All offences under this Act shall be cognizable and bailable.

(2) All offences punishable under this Act shall be tried summarily by a Judicial Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate and the provisions of section 262 to 265 both inclusive of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply to such trial.

Composition of Offences

12- An offence punishable under this Act may be compounded either before or after the institution of the prosecution by such officer of the local authority as may be notified by the State Government from time to time, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence and where the offence is so compounded.

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Power of the State Government to give direction

13- The State Government may give to a local authority such direction not inconsistent with this Act, as it considers necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the local authority shall comply with such direction.

Power to amend the Schedule

14- The State Government may, after consultation with the Public Analyst, by notification, amend the Schedule and upon the publication of such notification in the Gazette, the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

Power to delegate

15- The State Government may by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make rules, may also be exercised by such officer in such officer in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

Protection of action taken in good faith

16- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the local authority or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rule made thereunder.

Other law not affected

17- The provisions of this Act are in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties

18- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to make rules

19- The State Government may by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and savings

20- (1) The Uttar Pradesh Plastic and Other Non-biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

SCHEDULE

[See section 2 (k)]

PLASTIC

1. Polythene
2. Nylon
3. P.V.C.
4. Poly-propylene
5. Poly styrene.